

22²/₂₃

2020
00064

पत्राचार के संबंध में सूचित किया जा रहा है कि
वापस पत्र विज्ञापन में खरीद किया जा चुका है
इसलिए इस प्रकार के कोई कार्यवाही कोषाक्षत
नहीं रहती है। अतः पत्राचार केवल शुभारंभ
लेखक नाम से काम हो। पत्राचार मूल
पत्र पत्र के साथ प्रमाण की जावे।



(श्याम सुन्दर विनोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)